न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 55 / 2014

उनवान

1. श्रीमती ऐजी बेवा धुंकल दरोगा, निवासी भौजपुरा तहसील माण्डल , जिला भीलवाडा

अपीलार्थीया / वादिया

बनाम

1. भंवरलाल पिता मोहवन दरोगा निवासी भोजपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती कमला पुत्री धुकल दरोगा पत्नि बद्री जी निवासी भोजपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाड़ा

———रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के
प्रकरण संख्या 94 / 2002 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2013

अभिभाषक : 1. श्री जगदीश चन्द्र व्यास , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री कमलेश मेहता,अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं.1
3.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 21.2.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भौजपुरा तहसील माण्डल के खाता संख्या 74 के आराजी नम्बर 154 लगायत 159, 177, 341, 545 कुल किता 9 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा स्थित है। जिसमें वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 कमला का 3/8 हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम भगतपुरा तहसील माण्डल स्थित आराजी नम्बर 256 लगायत 260 एवं 289 कुल किता 6 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। जिसमें भी वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 3/8 हक हिस्सा है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जाकाश्त चला आ रहा है।

2. पन्द्रह साल पहले वादिया पति धुकल जी का देहान्त हो गया था एवं वादिया के पुत्र शंकर का भी देहान्त हो गया था। इस कारण से उक्त आराजियात वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम अंकित हुई थी। वादिया का और कोई सहारा नहीं होने के कारण वह सन् 1985 में अकाल राहत योजना में मजदूरी करने जाती थी। जिसका पेमेण्ट तहसील कार्यालय माण्डल से लेना था। दिनांक 25.6.1985 को प्रतिवादी संख्या 1 अपने साथियों गोपीलाल वल्द एकलिंग जाट निवासी भाकलिया और शांतिलाल वल्द धुलीराम ब्राह्मण निवासी लक्ष्मीपुरा को साथ लेकर मेरे घर पर आया और मुझे कहा कि मजदूरी का पेमेंण्ट लेने हम भी माण्डल जा रहे हैं सो तुम भी हमारे साथ चलो ताकि तुम्हारा भी पेमेण्ट तुम्हे मिल सके । इन लोगों ने मुझे कोई जानकारी दिये बिना ही मेरे पुत्री कमला प्रतिवादी संख्या 2 को भी उसके ससुराल नोलपुरा से यह कहकर माण्डल बुलवा लिया कि तुम्हारी मॉ ऐजी बीमार है जिसे लेकर माण्डल गये हैं। इसलिए तुम भी माण्डल आ जाना । इस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकार से झांजा देकर इन लोगों ने हम दोनों मॉ – बेटी को माण्डल बुलवा लिया, और हमारे पोसिदा तौर से यह षड्यंत्र रचा कि मृतक धुंकल जी के कोई लडका नहीं है इसलिए भँवर लाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गोद का स्टाम्प लिखा देते हैं। ताकि ऐजी के मरने पर उक्त सारी जायदाद भँवर लाल के नाम पर आ जाये। उन्होंने शिकायत की लिखा पढी करा कर काफी समय से मजदूरी का भुगतान नहीं मिल रहा है हम दोनों मॉ बेटी के दस्तखत निशानिया करा दी और यह कहा कि तहसीलदार साहब के सामने चलो ताकि तुम्हार पेमेण्ट दिलवाया जा सके। इस प्रकार ये लोग हमें तहसीलदार सा0 के सामने ले गये और लिखा पढी वहॉ पेश कर दी । हमें यह जानकारी नहीं होने दी की लिखापढी क्या कराई थी। उन्होनें हमारे पोसिदा तौर से हमे कुछ दिये बिना अर्थात कुछ प्रतिफल दिये बिना हमारी उक्त वर्णित आराजियात के बिकाव की रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में करवा दी । प्रतिवादी संख्या 1 ने खुद को धुकल जी का गोद पुत्र बताकर बिकाव की रजिस्ट्री फर्जी तौर पर से अपने नाम पर कराई है जबकि मैंनें या मेरे पति ने कभी भी भँवर लाल को गोद नहीं रखा एवं न ही भँवर लाल कभी हमारे पास रहा और न ही कभी उसने मेरे सेवा–चाकरी की है। उक्त फर्जी दस्तावेज की प्रथम बार वादिया को जानकारी सन् 1991 में हुई जबकि भँवर लाल ने न्यायालय में वादिया के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया था। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने आपको वादग्रस्त भूमि का खातेदार माना एवं अपने आपको धुकल जी का गोदपुत्र माना ।

3. उसके पश्चात वादिया रजिस्ट्री की नकल निकलवाई। तब जाकर यह जानकारी हुई। प्रतिवादी संख्या 1 को कभी गोद नहीं रखा गया एवं न ही प्रतिवादी संख्या

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2 द्वारा रजिस्ट्री कराने के लिए वादिया को कोई प्रतिफल ही अदा किया । अतः विक्रय पत्र दिनांक 24.6.85 को वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 के मुकाबले शुन्य व प्रभावहरीन घोषित कर वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 की उक्त आराजीयात से बेदखल न करे न ही हस्तान्तरण किसी ओर को करे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादिया का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीया/वादिया के पुत्रं प्रतिवादी संख्या 2के भाई शंकर के नाम पर दर्ज थी। अपीलार्थीया के पति धुकल व पुत्र शंकर के देहान्त के कारण वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम पर हक हिस्से अनुसार दर्ज हुई। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थीया को नरेगा में की गई मजदूरी का भुगतान दिलाने के लिए तहसील में ले गया एवं अपीलार्थीया की पुत्री प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह कहकर तहसील में बुलवाया कि अपीलार्थी /प्रत्यर्थी संख्या 2 की मॉ बीमार है। तहसीलदार के समक्ष शिकायत करने के बहाने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 को प्रस्तुत किया एवं कागजों पर लिखापढी कर कपटपूर्ण तरीके से 1985 में रजिस्ट्री करवा ली एवं अपने आप को धुकल जी का मुतबन्ना राजस्व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रेकार्ड में दर्ज करवा लिया जबकि अपीलार्थीया एवं उसके मृतक पति द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को कभी गोद नहीं लिया एवं न ही वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर प्रतिफल ही प्राप्त किया है।

7. अधिवक्ता अपीलार्थीया का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्ध की गई धोखाधडी हेतु सिविल न्यायालय में मुकदमा भी किया जिसमे प्रत्यर्थी संख्या 2 को दोषी मानते हुए दण्डित किया है।

8. अपीलार्थीया गरीब, अनपढ होकर विधवा महिला है जिसके पास वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य कोई आजीविका का कोई साधन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का क्षेंत्राधिकार नहीं होना मानकर वाद पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जावे।

9. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है अपीलार्थीया ने वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अधिकारों के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य के आधार पर तनकीवाईज निर्णय पारित नहीं किया है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

10. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जरिये रजिस्र्टड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। वादग्रस्त आराजियात को क्रय करने से पूर्व उसका प्रतिफल अदा किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त भूमि पर न तो अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या 2

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का कब्जा है एवं न ही वादग्रस्त आराजियात को विक्रय करने के उपरान्त उनका कोई हक अधिकार ही रहा है। अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 के मन में कपट आ जाने से उन्होनें गलत तौर पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

11. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 का यह भी निवेदन है कि सिविल न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 को दोषी माना था परन्तु सेशन न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को दोषमुक्त किया जा चुका है। रजिस्ट्री को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः' अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे।

12. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीया/वादिया ने वादग्रस्त आराजियात में अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के साथ ही प्रतिवादी संख्या 1/प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया । वादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई है।

13. अपीलार्थीया/वादिया का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजियात की रजिस्ट्री धोखे से प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने नाम पर करवा ली है । इस सबंध में कोई प्रतिफल प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अदा नहीं किया गया है। सिवल न्यायालय ने भी प्रत्यर्थी संख्या 1 को दोषी माना है। अधीनस्थ न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ने अपने अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित किया है कि सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपील सेशन न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी । जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को दोषमुक्त किया जा चुका है।

14. चूंकि वादग्रस्त आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई है। यदि अपीलार्थीया के विरूद्ध धोखाधडी की गई है एवं विक्रय के फलस्वरूप कोई प्रतिफल प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अदा नहीं किया गया है तो अपीलार्थीया सिविल न्यायालय में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही कराने के लिए स्वतंत्र है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

15. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलााधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2013 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।

16. निर्णय आज दिनांक 21.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

21/2/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 55 / 2014

उनवान

2. श्रीमती ऐजी बेवा धुंकल दरोगा, निवासी भौजपुरा तहसील माण्डल , जिला भीलवाडा

अपीलार्थीया / वादिया

बनाम

3. भंवरलाल पिता मोहवन दरोगा निवासी भोजपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती कमला पुत्री धुकल दरोगा पत्नि बद्री जी निवासी भोजपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाड़ा

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 94 / 2002 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2013

अभिभाषक : 1. . श्री जगदीश चन्द्र व्यास , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री कमलेश मेहता,अधिवक्ता प्रत्यर्थी,सं.1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 55 / 2014** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 21.2.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री जगदीश चन्द्र व्यास वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री श्री कमलेश मेहता की उपस्थिति मे दिनांक 21.2.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलााधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2013 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आज दिनांक 21.2.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

21.2.18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस